


मूलचर्चा न्यायालय संस्था
क्र.सं. 86/2022

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी

बसवा (दौसा)
न्याय-कार्यवाही मय इनिशियल्स जज



~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
5/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थान/P.O. जाकर राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनता को पेशी हो गई गत
आदेश की पालना में दिनांक... 2.5.14/23
को पेश हो।
हस्ताक्षर सेक्टर

185/23

रामचरण
(21 मई 2023)

वकील

- 1) श्री रामचरण
- 2) श्री रामचरण

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण को
प्रशासन गांव के संग-2023 के पं. केन्द्र
में रखा गया। प्राची मुल्कां व बादन
उप. झाड़, वादी मृतक रामधन को
पुत्र रामधन उप. झाड़ सभी के
हस्ताक्षर कवाये गये। वादीगण
हैरानी कोट ले सारी काल राम
संगी व प्रहलाद संगी उप. झाड़
मूल में झाड़ में वादीगण/प्राचीगण
रामधन, मुल्कां, बादन के पिला
का सही रूप के बारे में ध्यान रकिया।
कोर्ट को 2 में उपस्थित मालबिरान
द्वारा उक्त प्राचीगणों के पिला का
सहीनाम 'सो-या' देना प्रकराय में
इच्छात कराया। कल: निर्णय
पृथक ले लुले-यायालय में सुनाया
गया, कोट पृथक ले लिखे किर्ण
को शाहील मिलान किया गया।
पत्रावली को पेश हुआ।
दाखिल दस्तावेज कोट नक्का ले
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बसवा
जिला - दौसा

मंहगाई राहत शिविर एवं प्रशासन गांव के संग अभियान-2023

पंचायत समिति - बसवा

शिविर ग्राम पंचायत:- केसरीसिंहपुरा

क्रमांक :- दुरस्ती / 2023 / 32

दिनांक:- 18/5/23

-: आदेश दुरस्ती हेतु :-

आज दिनांक को प्रार्थी / प्रार्थीगण मूलानंद, कोदन 5/0 सोन्या, रामधन 5/0 रामधन

निवासी केसरीसिंहपुरा द्वारा एक परिवाद/प्रा.पत्र वास्ते नाम दुरस्ती हेतु पेश किया है। परिवाद के संबंध में तहसीलदार, बसवा, गिरदावर बसवा पटवारी हलका केसरीसिंहपुरा से जांच प्राप्त की गई। उक्त प्रा.पत्र के समर्थन में परिवादीगण द्वारा आवश्यक दस्तावेजात/शपथ पत्र संलग्न परिवाद पेश किये गये हैं।

संपूर्ण परिवाद का अवलोकन करने के उपरांत निम्न प्रकार संशोधन राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में करने के आदेश राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में अंकित प्रविष्टि			इस आदेश के द्वारा इस प्रविष्टि में जो संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं		
राजस्व ग्राम	खाता सं.	वर्तमान प्रविष्टि जिसे दुरस्त करना है	राजस्व ग्राम	खाता सं.	इस आदेश के उपरांत इस प्रविष्टि को संशोधित किया जाना है।
1	2	3	4	5	6
<u>केसरीसिंहपुरा</u>	<u>70 (बसवा 564, 591)</u>	<u>रामधन, मूलानंद 1 पि. 2 कोदन पि. सोन्या</u>	<u>केसरीसिंहपुरा</u>	<u>70 (बसवा 564, 591)</u>	<u>रामधन, मूलानंद, कोदन 5/0 सोन्या</u>

अतः वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रविष्टि को कॉलम संख्या 6 में संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने के आदेश एतद्वारा राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रदान किये जाते हैं।

तहसीलदार, बसवा को इस दुरस्ती आदेश की प्रति भेजकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में संशोधन करना सुनिश्चित करें।

पुनर्रम:- रामधन, मूलानंद, कोदन/सोन्या का बसवा सं-70 केसरीपुरा में कुल रिकोर्ड अंकित किया जावे, तदनुसार प्रतिके क्रमांक : सम/का.दि. 1/6 - 1/6 - 1/6 होगा।

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, बसवा को उक्तानुसार अधिलेख प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी,
बसवा जिला-दौसा
दिनांक:-

उपखण्ड अधिकारी,
बसवा जिला-दौसा